

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4105

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

**उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता**

**4105 श्री टी. जी. वेंकटेश :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और न्यायाधीशों की मौजूदा रिक्त पदों को तत्काल भरने, दोनों की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या न्यायिक अवसंरचना न्यूनतम मूलभूत मानकों को भी पूरा नहीं करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर सांविधिक प्राधिकरणों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री  
( श्री किरेन रीजीजू )**

(क) : मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में 2013 में आयोजित विचार-विमर्श के बाद अन्य बातों के साथ यह संकल्प लिया गया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तत्पश्चात, विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। वर्तमान में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 906 से बढ़कर 2022 में 1104 हो गई है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरे न्यायाधीशों का मामला) की उनकी सलाहकार राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय

के 6 अक्टूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीशों के मामले) के अनुसरण में की जाती है। प्रक्रिया ज़ापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव का आरंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के पास निहित है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति को रिक्ति होने से छह महीने पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्ति को भरने के प्रस्ताव को शुरू करना अपेक्षित है। जबकि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना एक सतत, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। सरकार समयबद्ध रीति से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। 31.03.2022 तक, उच्च न्यायालयों में 1,104 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के लिए, 717 न्यायाधीश पद पर हैं, न्यायाधीशों के 387 रिक्त पदों को भरा जाना है। 387 रिक्तियों के लिए, 168 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं। उच्च न्यायालयों में 219 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें प्राप्त होनी शेष हैं।

**(ख) और (ग) :** न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए, संघ सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित किया है। वह स्कीम जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय भवनों और आवासीय आवास के निर्माण को कवर करती है। इस स्कीम को समय-समय पर बढ़ाया गया है और इसे अंतिम बार 2021-22 से 2025-26 तक 5,307.00 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्सा सहित कुल वित्तीय परिव्यय 9,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षाओं और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है। अब तक केंद्रीय सरकार ने इस स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8,758.70 करोड़ रुपए मंजूर किए गए ।

भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति पर डाटा संकलित किया है। न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने हेतु भारत के मुख्य न्यायामूर्ति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार अध्यक्ष सह संरक्षक के रूप में भारत का मुख्य

न्यायाधीश एक शासी निकाय होगा। प्रस्ताव की अन्य मुख्य विशेषताएं यह हैं कि भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना की योजना, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से यथाप्राप्त प्रस्ताव को विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है, क्योंकि इस मामले पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचारों के लिए वे एक महत्वपूर्ण पणधारी हैं।

\*\*\*\*\*